न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 01/2023
जी.सी.एम.एस. नं.: 2023/45

1. गुरदेव कौर पत्नी महेन्द्र सिंह निवासी 12 बीएलएम(डबवाल) तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.

–अपीलार्थी

बनाम

1. सत्यादेवी पत्नी बाबूलाल पुत्री शेर सिंह निवासी चक 13 बीएलडी तहसील श्रीविजयनगर हाल आबाद दिदिया तहसील देहरा जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश
2. जसविन्द्र कौर पत्नी कुलदीप सिंह निवासी 10 एसएस डब्ल्यू गुरूसर तहसील व जिला हनुमानगढ़ राज.
3. सरपंच ग्राम पंचायत, 15 बीएलडी ए
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर

–प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :–

1. **श्री साहिब बाघला, अधिवक्ता अपीलार्थी**
2. **श्री सुखदेव सिंह बुट्टर, अधिवक्ता रेस्पों. सं. 1**
3. **अनुपस्थित, प्रत्यर्थीगण सं. 2 व 3**
4. **राजपैरोकार**

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 30.04.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि :–

1. अपीलार्थी के द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत 15 बीएलडी ए के आदेश दिनांक 20.02.2023 प्रस्ताव सं. 1 जिसके द्वारा तहसील श्रीविजयनगर के चक 13 बीएलडी बी के मु.नं. 14 प.नं. 221/411 की कुल 6.325है. कमाण्ड मय खाला भूमि का पंजीबद्ध बैयनामा के आधार पर सत्या देवी से जसविन्द्र कौर के पक्ष में नामान्तरण सं. 432 दिनांक 23.02.2023 को स्वीकृत किया है से व्यथित होकर अपील पत्र पेश किया गया है।
2. अपील दर्ज की जाकर रेस्पोंडेंट्स को तलब किया गया। रेस्पो. सं. 1 जरिए अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पों. सं. 4 राज. सरकार की ओर से राजपैरोकार उपस्थित आए। रेस्पों. सं. 2 व 3 बावजूद सम्मन तामील अनुपस्थित रहे।
3. बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। उभयपक्ष अधिवक्तागण नामान्तरण निरस्त करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। अपील पत्र अपीलार्थी एवं रेस्पों. सं. 1 द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रार्थना पत्र/उजरात का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से परिशीलन किया।
4. आलौच्य आदेश पंजीबद्ध बैयनामा के आधार पर रेस्पों. सं. 1 से रेस्पों. सं. 2 के नाम दर्ज हुआ है। रस्पों. [illegible] दस्तावेज अनुसार माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के [illegible] 02.11.2023 को निर्णय पारित करते हुए राजीनामा आधार पर [illegible] दिनांक 03.02.2023 को सत्यादेवी के अधिकार के प्रति शून्य व [illegible] घोषित किया गया है। चूंकि आलौच्य आदेश जिस दस्तावेज पर आधारित है वह मा. न्यायालय [illegible] शून्य व निष्प्रभावी घोषित किया जा चुका है अतः आलौच्य आदेश स्वतः निष्फल हो गया है। ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:34:12 IST
Reason: SelfAttested

–: आदेश :–

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा सरपंच ग्राम पंचायत 15 बीएलडी ए के आदेश दिनांक 20.02.2023 प्रस्ताव सं. 1 जिसके द्वारा तहसील श्रीविजयनगर के चक 13 बीएलडी बी के मु.नं. 14 प.नं. 221/411 की कुल 6.325है. कमाण्ड मय खाला भूमि का पंजीबद्ध बैयनामा

के आधार पर सत्या देवी से जसविन्द्र कौर के पक्ष में नामान्तरण सं. 432 दिनांक 23.02.2023 को स्वीकृत किया है को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय संबंधित ग्राम पंचायत एवं तहसीलदार श्रीविजयनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 30.04.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुन्तला
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:34:12 IST
Reason: SelfAttested